

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल— secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०५/०१/२०२४

क्रमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 135 “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / 120 दिनांक 12.05.2022 के कण्डिका (घ.) योजना में देय हितलाभ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना :-

(घ.) योजना में देय हितलाभ :-

(2). इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि रु 10,000/- (अक्षरी दस हजार रु) सहायता राशि एकमुश्त देय होगी को अधिक्रमित करते हुए

“इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि रु 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रु) सहायता राशि एकमुश्त देय होगी”

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

३/१८२
(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ०कमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / ६००१-६०१४ अटल नगर, दिनांक ०५/०१/२४
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लॉक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत।
18. गार्ड फाईल। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

11/11/2023

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छोगो)
ईमेल—secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

अटल नगर, दिनांक १२ / ०५ / 2022

क्रमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / १२० “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छोगो भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद् द्वारा छोगो भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना “मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना” बनाती है :—

(क) योजना का नाम :—

योजना का नाम “मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना” होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :—

छोगो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम 1996 की धारा 14 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिक की मंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो उक्त धारा के अंतर्गत मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले हैं, उन्हें सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता स्वरूप राशि दी जावेगी।

(ग) योजना का प्रावधान :—

1. योजना का नाम “मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना” होगा।
2. यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो।

(घ) योजना में देय हितलाभ :—

1. इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि रु 10,000/- (अक्षरी दस हजार रुपये) सहायता राशि एक मुश्त देय होगी।

(ङ.) योजना हेतु पात्रता :—

1. योजना के लाभ हेतु हितग्राही कम से कम विगत 03 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल अंतर्गत पंजीकृत हो।
2. योजनांतर्गत हितग्राही की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष के श्रमिक इस योजना हेतु पात्र होंगे।

(च) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा।

निरंतर.....2

2. आवेदक स्वयं अथवा च्वार्डस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ :-
 - 3.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति।
 - 3.2 हितग्राही के आधार कार्ड की प्रति।
 - 3.3 हितग्राही के बैंक पास बुक की प्रति।
 - 3.4 हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति।

टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज़ ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) स्वीकृति का अधिकार :-

पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ज) भुगतान की प्रक्रिया:-

योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक के खाते में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी०/डी०बी०टी० के माध्यम से राशि स्थानांतरित किया जावेगा।

(झ.) विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(ज) योजना की प्रभावशीलता :-

यह योजना दिनांक 01.05.2022 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)



(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ०कमांक / 54 / 04 / योजना / बीओसी / 2022 / १४२०-१४३६ अटल नगर, दिनांक १२/०५/२०२२
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ०ग० शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।

3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड-03, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।


 सचिव
 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
 कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर